भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3720

सोमवार, 16 मार्च, 2026/25 फाल्गुन, 1947 (शक)

गिग और संविदा कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा

†3720. श्रीमती भारती पारधी:
श्री नरेश गणपत म्हस्के:
श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणे:
डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे:
श्री रविन्द्र दत्ताराम वायकर:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के अंतर्गत गिग और संविदा पर कार्यरत कामगारों को प्रदान की गई विशिष्ट सुरक्षा प्रावधानों का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा संहिता की अधिसूचना के बाद, प्लेटफार्म कामगारों के लिए कार्यान्वित पंजीकरण और कल्याण तंत्रों का ब्यौरा क्या है;

(ग) अनौपचारिक कार्यबल के औपचारिकीकरण के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ)/कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के कवरेज विस्तार लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है;

(घ) सामाजिक सुरक्षा अंशदान की सुविधा प्रदान करने वाले डिजिटल अनुपालन पोर्टल का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार द्वारा गिग कामगारों के लाभ हेतु राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी फ्रेमवर्क तैयार किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ङ): सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 दिनांक 21.11.2025 को लागू हुई है जिसका उद्देश्य मौजूदा सामाजिक सुरक्षा कानूनों को एकल ढांचे में समेकित करना और सरल बनाना है तथा संगठित, असंगठित, गिग, प्लेटफॉर्म और स्व-नियोजित कामगारों सहित सभी कामगारों तक सामाजिक सुरक्षा कवरेज का विस्तार करना है।

पहली बार, 'गिग कामगार' और 'प्लेटफॉर्म कामगार' की परिभाषा तथा उनसे संबंधित उपबंध सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में प्रदान किए गए हैं।

यह संहिता गिग कामगारों और प्लेटफॉर्म कामगारों के लिए जीवन और निःशक्तता कवर, दुर्घटना

जारी..2/-

बीमा, स्वास्थ्य और प्रसूति प्रसुविधा, वृद्धावस्था संरक्षण आदि से संबंधित विषयों पर उपयुक्त सामाजिक सुरक्षा उपाय तैयार करने का उपबंध करती है। यह संहिता इन कल्याणकारी योजनाओं के वित्तपोषण के लिए एक सामाजिक सुरक्षा निधि स्थापित करने का प्रावधान करती है। इस संहिता में गिग कामगारों और प्लेटफॉर्म कामगारों के कल्याण के उद्देश्यों के लिए एक राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड गठित करने का भी उपबंध है।

संगठित क्षेत्र में लगे संविदा कामगारों को सामाजिक सुरक्षा मुख्य रूप से सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के पांच अध्यायों अर्थात, कर्मचारी भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, उपदान (ग्रेच्युटी), प्रसूति प्रसुविधा और कर्मचारी मुआवजा के तहत प्रदान की जाती है। असंगठित क्षेत्र में कार्यरत संविदा कामगारों के लिए जीवन और निःशक्तता कवर, स्वास्थ्य और प्रसूति प्रसुविधा, वृद्धावस्था संरक्षण, शिक्षा आदि से संबंधित सामाजिक सुरक्षा उपाय भी सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में प्रदान किए गए हैं।

श्रम और रोजगार मंत्रालय ने प्लेटफॉर्म कामगारों, प्रवासी कामगारों आदि सहित असंगठित कामगारों का एक व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस (एनडीयूडब्ल्यू) बनाने के लिए दिनांक 26 अगस्त, 2021 को ई-श्रम पोर्टल (eshram.gov.in) का शुभारंभ किया। ई-श्रम पोर्टल गिग और प्लेटफॉर्म कामगारों सहित असंगठित कामगारों को पंजीकृत करता है और उन्हें स्व-घोषणा के आधार पर एक सार्वभौमिक खाता संख्या (यूएएन) प्रदान करता है।

असंगठित कामगारों के लिए विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने हेतु ई-श्रम को 'वन-स्टॉप-सॉल्यूशन' के रूप में विकसित करने की बजट घोषणा वर्ष 2024-25 के विज़न के अनुरूप, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने दिनांक 21.10.2024 को ई-श्रम—"वन-स्टॉप-सॉल्यूशन" का शुभारंभ किया। ई-श्रम—"वन-स्टॉप-सॉल्यूशन" के अंतर्गत विभिन्न सामाजिक सुरक्षा/कल्याणकारी योजनाओं का एक ही पोर्टल अर्थात ई-श्रम पर एकीकरण किया गया है। यह ई-श्रम पर पंजीकृत असंगठित कामगारों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुंचने और ई-श्रम के माध्यम से अब तक उनके द्वारा प्राप्त किए गए लाभों को देखने में सक्षम बनाता है।

अब तक, विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों की चौदह (14) योजनाओं को ई-श्रम के साथ एकीकृत/मैप किया जा चुका है, ताकि ई-श्रम कार्डधारकों को सामाजिक सुरक्षा, बीमा या कौशल विकास कार्यक्रमों का लाभ और पहुंच प्रदान की जा सके, जिनमें प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम-स्वनिधि), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एण्ड आजीविका मिशन (ग्रामीण) (वीबी-जी आरएएम जी), प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (पीएमएवाई-जी), आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई), प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी (पीएमएवाई-यू), प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई), प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान), वन नेशन वन राशन कार्ड (ओएनओआरसी) और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) आदि शामिल हैं।

जारी..3/-

ई-श्रम पोर्टल पर प्लेटफॉर्म कामगारों के पंजीकरण को अधिकतम करने के लिए, राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के सहयोग से अप्रैल, मई और अगस्त-सितंबर, 2025 के महीनों के दौरान तीन देशव्यापी विशेष पंजीकरण अभियान चलाए गए। दिनांक 12.03.2026 तक, ई-श्रम पोर्टल पर लगभग 8.84 लाख प्लेटफॉर्म कामगार पंजीकृत हैं।

संविदा कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा अंशदान के अनुपालन को सुविधाजनक बनाने हेतु, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) और कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) द्वारा विभिन्न डिजिटल सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, जैसे कि प्रतिष्ठानों का ऑनलाइन पंजीकरण, रिटर्न की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग, अंशदान के भुगतान की निगरानी आदि। ऑनलाइन पोर्टलों की शुरुआत ने लाभार्थियों के लिए ईपीएफओ और ईएसआईसी द्वारा प्रदान किए जाने वाले सामाजिक सुरक्षा लाभों तक पहुंच को सुलभ बना दिया है।
